न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ

पीठासीन अधिकारी–हरिसिंह मीना (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : – डिक्री 137 सन् 2019
पंजीयन दिनांक :– 05.12.2019

1. रतनीबाई पुत्री देवा जाति भील निवासी राजपुरिया तहसील– चित्तौड़गढ हाल अठाना जिला नीमच (म0प्र0)
2. भेरूलाल पिता मांगिया जाति भील निवासी राजपुरिया तहसील– चित्तौड़गढ हाल अठाना जिला नीमच (म0प्र0)
3. बालुलाल पिता मांगिया जाति भील निवासी राजपुरिया तहसील– चित्तौड़गढ हाल अठाना जिला नीमच (म0प्र0)
4. रूकमणी बाई पुत्री मांगिया जाति भील निवासी राजपुरिया तहसील– चित्तौड़गढ हाल अठाना जिला नीमच (म0प्र0)
5. काली बाई पुत्री मांगिया जाति भील निवासी राजपुरिया तहसील– चित्तौड़गढ हाल अठाना जिला नीमच (म0प्र0)
6. रतनी पत्नि मांगिया जाति भील निवासी राजपुरिया तहसील– चित्तौड़गढ हाल अठाना जिला नीमच (म0प्र0)
7. चम्पालाल पिता सुन्दरलाल जाति भील निवासी जावद जिला नीमच (म0प्र0)
8. लच्छीराम पिता सुन्दरलाल जाति भील निवासी जावद जिला नीमच (म0प्र0)

–अपीलांट्गण

विरुद्ध

1. रामनिवास पिता रामरतन जाति जाट निवासी खोर तहसील व जिला चित्तौड़गढ
2. रामनारायण पिता रामरतन जाति जाट निवासी खोर तहसील व जिला चित्तौड़गढ
3. मनोहरसिंह पिता रामरतन जाति जाट निवासी खोर तहसील व जिला चित्तौड़गढ
4. पुष्पा पुत्री रामरतन पत्नि करपालसिंह जाति जाट निवासी लक्ष्मीपुरा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ
5. गुड्डी उर्फ लीला पुत्री रामरतन जाति जाट निवासी खोर तहसील व जिला चित्तौड़गढ

–रेस्पोडेन्ट्गण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
विरुद्ध निर्णय एवं डिक्री न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़
प्रकरण संख्या 220/1990 वाद निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.05.2000

उपस्थित :– 1. शिवनारायण जाट– अधिवक्ता अपीलान्ट्गण
2. चम्पालाल जाट– अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 5

निर्णय **दिनांक:– 20.01.2023**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 5 के पिता वादी रामरतन ने अपीलान्ट्गण के पिता देवा व मांगिया के विरुद्ध वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा खोर तहसील चित्तौड़गढ की साबिक बन्दोबस्ती आराजी नम्बर 521 रकबा 5 बीघा 6 बिस्वा, आराजी नम्बर

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

522 रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा, आराजी नम्बर 523 रकबा 3 बीघा 9 बिस्वा कुल किता 3 रकबा 11 बीघा 14 बिस्वा कृषि आराजीयात रूपा पिता नन्दा भील निवारी खोर के नाम दर्ज रही। रेस्पोडेन्ट्गण के दादा वादी के पिता की संवत् 2012-13 के आस-पास मृत्यु हो गई। रेस्पोडेन्ट्गण के दादा, वादी के पिता अमृतराम की मृत्यु के समय रेस्पोडेन्ट्गण के पिता वादी नाबालिग था। अपीलान्ट्गण प्रतिवादीगण के पिता भी खोर छोडकर राजपुरिया मे आबाद हो गये थे, जहां अपीलान्ट्गण प्रतिवादीगण भी रहते है। विवादित कृषि आराजीयात पर रेस्पोडेन्ट्गण के दादा वादी के पिता का निरन्तर कब्जा चला आ रहा है। रेस्पोडेन्ट वादी के पिता की बही मे लिखा हुआ विक्रयपत्र रेस्पोडेन्ट के पिता वादी को समय पर नही मिला जिससे व उसके नाबालिग होने से उनके हक हकुको की तरफ ध्यान नही दे पाया जिससे राजस्व प्रविष्टि अपीलान्ट्गण के दादा प्रतिवादीगण के पिता व प्रतिवादीगण के नाम निरन्तर चालु रही है। अपीलान्ट्गण प्रतिवादीगण ने स्वयं इस तथ्य की जानकारी करके तहसीलदार चित्तौड़गढ के समक्ष उक्त कृषि आराजीयात की प्रविष्टि रेस्पोडेन्ट वादी के नाम पर परिवर्तन करने हेतु आवेदन पत्र दिनांक 28.04.1970 को प्रस्तुत किया जिस पर तहसीलदार चित्तौड़गढ ने बाद जांच कब्जा रेस्पोडेन्ट्गण के पिता वादी रामरतन का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रभावी होने से पूर्व का होना स्वीकार किया। दिनांक 31.05.1971 को नामान्तकरण सं. 99 के जरिये उक्त कृषि आराजीयात की प्रविष्टि रेस्पोडेन्ट्गण के पिता वादी के नाम परिवर्तित करने का आदेश पारित किया, तब से रेस्पोडेन्ट्गण के पिता वादी का नाम निरन्तर दिनांक 17.01.1990 तक खातेदार की हैसियत से दर्ज रेकार्ड रहा है। विवादित कृषि आराजीयात रेस्पोडेन्ट्गण के दादा वादी के पिता ने अपीलान्ट्गण प्रतिवादीगण के पिता स्वर्गीय रूपा पिता नन्दा जाति भील से संवत् 2009 आषाढ सुदी 13 को बिल एवज 1200/- रू. मे क्रय की। अपीलान्ट्गण प्रतिवादीगण के पिता स्वर्गीय रूपा ने रेस्पोडेन्ट्गण के पिता रामरतन व दादा अमृतराम को इसी मिति संवत् 2009 से आषाढ सुद 13 को उक्त कृषि आराजीयात का कब्जा सुपुर्द कर दिया, तभी से रेस्पोडेन्ट्गण के दादा वादी के पिता अमृतराम व उनकी मृत्यु के बाद रेस्पोडेन्ट्गण के पिता वादी रामरतन निरन्तर बेरोकटोक शांतिपूर्वक काबिज चले आ रहे है। अपीलान्ट्गण प्रतिवादीगण के पिता द्वारा सौपा गया सहमति का कब्जा रेस्पोडेन्ट्गण के पिता वादी के पास अभी भी मौजुद हो कायम है। रेस्पोडेन्ट्गण के पिता वादी के नाम खातेदारी मे दर्ज उक्त कृषि आराजीयात का इन्द्राज परिवर्तन राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के आदेश दिनांक 27.02.1989 के रेफरेन्स से समाप्त हुआ है, क्योकि राजस्व मण्डल ने रेफरेन्स को यह मानकर स्वीकार किया कि तहसीलदार चित्तौड़गढ को नामान्तकरण विक्रय पत्र के जरिये दिये गये कब्जे के आधार पर स्वीकृत करना चाहिये था, न कि धारा 19 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के जरिये। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 13 से 15 की पालना में आदेश पारित करना चाहिये था, इस वैधानिक बिन्दु के आधार पर नामान्तकरण सं. 99 दिनांक 31.05.1971 निरस्त कर दिया गया और अपीलान्ट्गण के पिता प्रतिवादीगण के नाम इंतकाल नम्बर 41 दिनांक 17.01.1990 से खातेदारी इन्द्राज अपीलान्ट्गण के पिता प्रतिवादीगण के नाम कायम कर दिया। साबिक आराजी नम्बर 521,522 व 523 कुल किता 3 कुल रकबा 11 बीघा 14 बिस्वा जिसके नवीन भू-प्रबन्ध मे नवीन आराजी नम्बर 395 रकबा 2.20 हैक्टेयर आराजी नम्बर 405/800 रकबा 0.21 हैक्टेयर कुल किता 2 रकबा 2.41 हैक्टेयर कायम हुए है। इन कृषि आराजीयात पर रेस्पोडेन्ट्गण के पिता वादी व उससे पूर्व उसके दादा अमृतराम राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के लागू होने के पूर्व से काबिज चले आ रहे है। इन कृषि

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ (राज.)

आराजीयात पर खातेदारान प्रतिवादी देवा, मांगिया के पिता ने कब्जा सुपुर्द किया है। लगान आदि भी रेस्पोडेन्टगण के पिता वादी ही अदा करता चला आ रहा था। अपीलान्टगण प्रतिवादीगण अपना स्वत्व अधिकार इन कृषि आराजीयात पर समाप्त कर चुके है और कब्जे के साथ समस्त स्वत्वाधिकार रेस्पोडेन्टगण के पिता वादी मे निहित हो चुके है। वर्ष 1970 से लेकर अब तक की समयावधि मे राजस्थान सरकार ने भी प्रकरण सं. 76/1975 रेवेन्यू वाद अन्तर्गत धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ के न्यायालय मे रेस्पोडेन्टगण के पिता वादी के विरूद्ध पेश किया जो बाद कार्यवाही दिनांक 16.08.1976 को निर्णित हुआ और भूमिधारी सरकार जरिये तहसीलदार चित्तौड़गढ का वादपत्र न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ द्वारा निरस्त किया गया। इस कार्यवाही मे अपीलान्टगण प्रतिवादीगण के पिता देवा व मांगिया भी पक्षकार रहे है। उन्होने रेस्पोडेन्टगण के पिता वादी के सहमति के कब्जे को स्वीकार किया है। इस निर्णय व डिक्री के विरूद्ध किसी भी सक्षम न्यायालय में अपील पेश नही की है, जिससे सरकार व पक्षकार अपीलान्टगण प्रतिवादीगण का कब्जा पुनः प्राप्ति का हक समाप्त हो चुका है। इस मामले मे निर्णित वादपत्र दिनांक 16.08.1976 से भी कब्जा लेने की समयावधि समाप्त हो चुकी है। वादी रेस्पोडेन्टगण के पिता रामरतन, प्रतिवादीगण अपीलान्टगण की सहमति से धारा 19 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत खातेदार कृषक रेकार्ड मे दिनांक 31.05.1971 से बदस्तुर कायम है और कब्जा संवत् 2009 आषाढ सुद 13 तद्नुसार माह जुलाई 1952 से निरन्तर चला आ रहा है। नाबालिग रेस्पोडेन्टगण के पिता वादी और पडत खेत होने व यदाकदा काश्त कर लेने से जिंस गिरदावरी का अंकन रेस्पोडेन्टगण के पिता वादी के नाम पूर्णतया दर्ज नही हो सका जबकि इन साबिक आराजी नम्बर 521,522 व 523 किता 3 रकबा 11 बीघा 14 बिस्वा वाले ग्राम खोर तहसील चित्तौड़गढ पर कब्जा रेस्पोडेन्टगण के पिता वादी का निरन्तर चला आ रहा है। भूमिधारी तहसीलदार चित्तौड़गढ ने जांच रिपोर्ट दिनांक 28.04.1970 से पूर्ण सहमति व्यक्त कर प्रविष्टि रेस्पोडेन्टगण के पिता वादी के नाम की जिससे धारा 13 व 15 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का फायदा प्राप्त करने का मुश्तहक हो चुका है और रेस्पोडेन्टगण के पिता वादी का हक हकुक प्रमाणित हो चुका है। रेस्पोडेन्टगण के पिता वादी खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी है। रेकार्डेड खातेदार स्वयं भूमिधारी के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के लागू होने से पूर्व रेस्पोडेन्टगण के पिता वादी का कब्जा स्वीकार कर चुका है और अपना स्वत्वाधिकार छोड चुका है जिससे रेस्पोडेन्टगण के पिता वादी हस्बदफा 63(1)(4) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत खातेदार कृषक घोषित होने का अधिकारी है। अपीलान्टगण प्रतिवादीगण के पिता अपने नाम दर्ज अंकन को हटाने की लिखित स्वीकृति संवत् 2009 मे ही विक्रय पत्र के जरिये दे चुके है, जिससे सरकार व अपीलान्टगण प्रतिवादीगण भी पाबन्द हो चुके है, उन्हे इस बाबत् कोई एतराज करने का अधिकार शेष नही रहता है। रेस्पोडेन्टगण के पिता वादी खातेदार घोषित होने का अधिकारी है। रेस्पोडेन्टगण के पिता वादी की खातेदारी की अवधि वर्ष 1970 से 1990 के मध्य किसी भी वैधानिक कार्यवाही मे अपीलान्टगण प्रतिवादीगण ने किसी प्रकार के एतराजात नही उठाये व सभी तथ्यो को स्वीकार किया है जिससे भी लॉ ऑफ इक्वलिटी के मान्य सिद्धान्तो के आधार पर एतराज उठाने का अधिकार समाप्त हो जाता है और इन्द्राज दिनांक 19.01.1990 पुनः दुरूस्त किया जाकर रेस्पोडेन्टगण के पिता वादी के नाम दर्ज किया जाना आवश्यक है। अपीलान्टगण प्रतिवादीगण नवीन इंतकाल नम्बर 41 दिनांक 17.01.1990 पुनः प्रविष्टि मे खातेदार दर्ज हुए है जिससे इन्द्राज होने की गलतफहमी मे ही रेस्पोडेन्टगण के पिता वादी के कब्जे मे वृक्ष आदि काटने

चित्तौड़गढ़ (राज.)

पर आमादा है जिससे उन्हे स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक हो गया है। रेस्पोडेन्टगण के पिता वादी का वाद स्वीकार कर उक्त कृषि भूमि रेस्पोडेन्टगण के पिता वादी के खातेदारी व कब्जे काश्त की घोषित किये जाने की डिक्री जारी करने की प्रार्थना की। रेस्पोडेन्टगण के पिता वादी का वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलान्टगण प्रतिवादीगण के पिता देवा व मांगिया को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया, अपीलान्टगण प्रतिवादीगण के पिता देवा व मांगिया ने जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर अस्वीकारोक्ति का जवाबदावा प्रस्तुत किया। वाद बिन्दु विरचित किये जाकर तनकीवार विवेचन कर वादपत्र स्वीकार किया जाकर दिनांक 22.05.2000 को रेस्पोडेन्टगण के पिता वादी के पक्ष में निर्णय व डिक्री पारित किये गये।

अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर प्रतिवादीगण मृतक देवा व मांगीया के उत्तराधिकारी बनकर अपीलान्टगण ने इस न्यायालय में प्रथम अपील मृतक वादी के उत्तराधिकारियों को रेस्पोडेन्टगण कायम कर 19 वर्ष 6 माह 12 दिन विलम्ब से प्रस्तुत की, जिसके साथ प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम मय शपथ-पत्र तथा धारा 96 व्यवहार प्रकिया संहिता के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र प्रस्तुत किये।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण वादी के वारिसान को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया जो जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुये। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली तलब कर संलग्न पत्रावली की गई व पत्रावली वास्ते बहस अन्तिम नीयत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्टगण ने अपनी बहस में अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि रेस्पोडेन्टगण के पिता वादी ने अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय में वादपत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि भौजा खोर की साबिक बन्दोबस्ती आराजी नम्बर 521 रकबा 5 बीघा 6 बिस्वा, आराजी नम्बर 522 रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा, आराजी नम्बर 523 रकबा 3 बीघा 9 बिस्वा कुल किता 3 रकबा 11 बीघा 14 बिस्वा कृषि आराजीयात रेस्पोडेन्टगण के पिता वादी के दादा अमृतराम ने अपीलान्टगण के दादा प्रतिवादीगण के पिता स्वर्गीय रूपा पिता नन्दा जाति भील से संवत् 2009 आषाढ सुदी 13 को बिल एवज 1200/- रू. मे क्रय कर कब्जा प्राप्त किया, तभी से रेस्पोडेन्टगण के पिता वादी के दादा अमृतराम व उनकी मृत्यु के बाद रेस्पोडेन्टगण के पिता वादी निरन्तर बेरोकटोक शांतिपूर्वक काबिज चले आ रहे है। उक्त कृषि भूमि के नवीन आराजी नम्बर 395 रकबा 2.20 हैक्टेयर आराजी नम्बर 405/800 रकबा 0.21 हैक्टेयर कुल किता 2 रकबा 2.41 हैक्टेयर कायम हुए है इन कृषि आराजीयात को रेस्पोडेन्टगण के पिता वादी की खातेदारी की घोषित की जावे। अपीलान्टगण के पिता प्रतिवादीगण देवा व मांगिया ने अस्वीकारोक्ति का जवाबदावा प्रस्तुत किया किन्तु अपीलान्टगण प्रतिवादीगण की ओर से कोई साक्ष्य रेकार्ड पर नहीं ली गई ना ही साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर ही दिया गया। रेस्पोडेन्टगण के पिता वादी द्वारा प्रस्तुत विक्रय पत्र प्रदर्श 1 अपंजीकृत है जो दस्तावेज की परिभाषा में नही आता है और इसके आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं किये जा सकते। रेस्पोडेन्टगण के पिता वादी का विवादित कृषि आराजीयात पर कभी कब्जा नहीं रहा, अपीलान्टगण प्रतिवादीगण व उनके पिता जाति से भील है, अनुसूचित जनजाति की श्रेणी के है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42 बी के तहत अपीलान्टगण के दादा प्रतिवादीगण के पिता की कृषि आराजीयात

चित्तौड़गढ़ (राज.)

रेस्पोडेन्ट्गण के पिता वादी को हस्तान्तरित नहीं की जा सकती है। दिनांक 22.05.2000 को निर्णय व डिक्री पारित किये गये उससे पूर्व दिनांक 08.03.2000 को अपीलान्ट्गण के पिता प्रतिवादी देवा की मृत्यु हो चुकी थी जिसके वारिसान की नामकायमी नहीं होने से दावा अबेट हो गया था। दावे के तथ्यों के समर्थन में ऐसे कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं हुये है जिससे यह सिद्ध हो कि तथाकथित बेचाननामा के समय कृषि आराजीयात विक्रेता रूपा के खाते में दर्ज रही हो। अब में अपील अपीलान्ट्गण प्रतिवादीगण स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट्गण वादी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि मौजा खोर की साबिक बन्दोबस्ती आराजी नम्बर 521 रकबा 5 बीघा 6 बिस्वा, आराजी नम्बर 522 रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा, आराजी नम्बर 523 रकबा 3 बीघा 9 बिस्वा कुल किता 3 रकबा 11 बीघा 14 बिस्वा कृषि आराजीयात रेस्पोडेन्ट्गण के दादा वादी के पिता अमृतराम ने अपीलान्ट्गण प्रतिवादीगण के पिता स्वर्गीय रूपा पिता नन्दा जाति भील से संवत् 2009 आषाढ सुदी 13 को बिल एवज 1200/- रू. मे क्रय कर कब्जा प्राप्त किया, तभी से रेस्पोडेन्ट्गण के पिता वादी के दादा अमृतराम व उनकी मृत्यु के बाद रेस्पोडेन्ट्गण के पिता वादी निरन्तर बेरोकटोक शांतिपूर्वक काबिज चला आ रहा है। अपीलान्ट्गण प्रतिवादीगण ने स्वयं इस तथ्य की जानकारी करके तहसीलदार चित्तौड़गढ के समक्ष उक्त कृषि आराजीयात की प्रविष्टि रेस्पोडेन्ट्गण के पिता वादी के नाम पर परिवर्तन करने हेतु आवेदन पत्र दिनांक 28.04.1970 को प्रस्तुत किया जिस पर तहसीलदार चित्तौड़गढ ने बाद जांच कब्जा रेस्पोडेन्ट्गण के पिता वादी रामरतन का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रभावी होने से पूर्व का होना स्वीकार किया। दिनांक 31.05.1971 को नामान्तकरण सं. 99 के जरिये उक्त कृषि आराजीयात की प्रविष्टि रेस्पोडेन्ट्गण के पिता वादी के नाम परिवर्तित करने का आदेश पारित किया, तब से रेस्पोडेन्ट्गण के पिता वादी निरन्तर दिनांक 17.01.1990 तक खातेदार की हैसियत से दर्ज रेकार्ड रहा है। रेस्पोडेन्ट्गण के पिता वादी के नाम खातेदारी मे दर्ज उक्त कृषि आराजीयात का इन्द्राज परिवर्तन राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा इस वैधानिक बिन्दु के आधार पर कि तहसीलदार चित्तौड़गढ को नामान्तकरण विक्रय पत्र के जरिये दिये गये कब्जे के आधार पर स्वीकृत करना चाहिये था, न कि धारा 19 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के जरिये। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 13 से 15 की पालना में होना चाहिये था, राजस्व मण्डल द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.02.1989 से नामान्तकरण सं. 99 दिनांक 31.05.1971 निरस्त कर दिया गया और अपीलान्ट्गण के पिता प्रतिवादीगण के नाम इंतकाल नम्बर 41 दिनांक 17.01.1990 से खातेदारी इन्द्राज कायम कर दिया। नवीन भू-प्रबन्ध मे नवीन आराजी नम्बर 395 रकबा 2.20 हैक्टेयर आराजी नम्बर 405/800 रकबा 0.21 हैक्टेयर कुल किता 2 रकबा 2.41 हैक्टेयर कायम हुए है इन कृषि आराजीयात पर रेस्पोडेन्ट्गण के पिता वादी व उससे पूर्व उसके दादा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के लागू होने से पूर्व से काबिज चले आ रहे है। लगान आदि भी रेस्पोडेन्ट्गण के पिता वादी ही अदा कर रहा है। अपीलान्ट्गण प्रतिवादीगण अपना स्वत्व अधिकार इन कृषि आराजीयात पर समाप्त कर चुके है और कब्जे के साथ समस्त स्वत्वाधिकार रेस्पोडेन्ट्गण के पिता वादी मे निहित हो चुके है। भूमिधारी राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार ने भी प्रकरण सं. 76/1975 रेवेन्यू वाद धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ के न्यायालय मे रेस्पोडेन्ट्गण के पिता वादी के विरूद्ध वादपत्र पेश किया जो

बाद कार्यवाही दिनांक 16.08.1976 को वादपत्र निरस्त कर दिया गया। इस कार्यवाही मे अपीलान्ट्गण प्रतिवादीगण भी पक्षकार रहे है। उन्होने रेस्पोडेन्ट्गण के पिता वादी के सहमति से कब्जे को स्वीकार किया है। इस निर्णय के विरूद्ध किसी भी पक्षकार ने अपील पेश नही की है, जिससे सरकार व अपीलान्ट्गण प्रतिवादीगण का कब्जा पुनः प्राप्ति का हक समाप्त हो चुका है। रेस्पोडेन्ट्गण के पिता वादी की खातेदारी की अवधि वर्ष 1970 से 1990 के मध्य किसी भी वैधानिक कार्यवाही मे अपीलान्ट्गण प्रतिवादीगण ने किसी प्रकार के एतराजात नही उठाये व सभी तथ्यो को स्वीकार किया है जिससे भी लॉ ऑफ इक्विलिटी के मान्य सिद्धान्तो के आधार पर एतराज उठाने का अधिकार समाप्त हो जाता है और इन्द्राज दिनांक 19.01.1990 पुनः दुरूस्त किया जाकर रेस्पोडेन्ट्गण के पिता वादी के नाम दर्ज किया जाना सही मानते हुए रेस्पोडेन्ट्गण के पिता वादी का वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने स्वीकार कर निर्णय व डिक्री पारित किये है जिनकी लगभग 20 वर्षो पश्चात अपीलान्ट्गण प्रतिवादीगण के उत्तराधिकारियों ने अपील प्रस्तुत की है। रेस्पोडेन्ट्गण वादीगण ने न्यायिक दृष्टान्त आरआरटी 2022 पार्ट-1 पेज 165 माननीय उच्चतम न्यायालय प्रकरण एस.एल.पी. (सिविल) नम्बर 27879/2018 निर्णय दिनांक 23.09.2021 प्रस्तुत कर उक्त न्यायिक दृष्टान्त के आधार पर अपीलान्ट्गण की ओर से 20 वर्ष पश्चात् प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य नही होना बताया। अपीलान्ट्गण, प्रतिवादीगण देवा व मांगीया के उत्तराधिकारी भी है या नही एवं तथाकथित अपीलान्ट्गण कहां के निवासी है इसका कोई प्रमाण पेश नहीं किया है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 अनुसार अनुसूचित जनजाति में पुत्रियों को पिता की सम्पत्ति मे पुत्र संतान होते हुये परंपरागत रूप से कोई अधिकार नही होते है ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री यथावत रखते हुये अपीलान्ट्गण प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत अपील को गुणावगुण पर विवेचन किये बगैर म्याद के बिन्दु पर निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्षकारान के अधिवक्ताओ की बहस पर विधिपूर्ण मनन किया अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। रेस्पोडेन्ट्गण के पिता वादी ने अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे वादपत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा खोर की साबिक बन्दोबस्ती आराजी नम्बर 521 रकबा 5 बीघा 6 बिस्वा, आराजी नम्बर 522 रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा, आराजी नम्बर 523 रकबा 3 बीघा 9 बिस्वा कुल किता 3 रकबा 11 बीघा 14 बिस्वा कृषि आराजीयात रेस्पोडेन्ट्गण के दादा वादी के पिता अमृतराम ने अपीलान्ट्गण प्रतिवादीगण के दादा स्वर्गीय रूपा पिता नन्दा जाति भील से संवत् 2009 आषाढ सुदी 13 को बिल एवज 1200/- रू. मे क्रय कर कब्जा प्राप्त किया, तभी से रेस्पोडेन्ट्गण के पिता वादी के दादा अमृतराम व उनकी मृत्यु के बाद रेस्पोडेन्ट्गण के पिता वादी निरन्तर बेरोकटोक शांतिपूर्वक काबिज चले आ रहे है। उक्त कृषि आराजीयात के नवीन आराजी नम्बर 395 रकबा 2.20 हैक्टेयर आराजी नम्बर 405/800 रकबा 0.21 हैक्टेयर कुल किता 2 रकबा 2.41 हैक्टेयर कायम हुए है इन कृषि आराजीयात को रेस्पोडेन्ट्गण के पिता वादी की खातेदारी की घोषित की जावे। अपीलान्ट्गण प्रतिवादीगण देवा व मांगिया ने अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे उपस्थित होकर अस्वीकारोक्ति का जवाबदावा प्रस्तुत किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने उभयपक्षो के अभिवचनों के अनुसार तनकियात कायम की व उक्त तनकियात पर उभयपक्षो की साक्ष्य तलब की, रेस्पोडेन्ट्गण के पिता वादी ने अपने जिम्मे की तनकियात को सिद्ध करने हेतु दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत की। अपीलान्ट्गण के पिता प्रतिवादीगण के जिम्मे की गई तनकियात पर

चित्तौड़गढ़ (राज.)

कोई दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नही किये व दिनांक 29.04.1992 को अपीलान्ट्गण के पिता प्रतिवादीगण व प्रतिवादीगण अपीलान्ट्गण के पिता देवा व मांगिया के अधिवक्ता अनुपस्थित रहने से अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय के द्वारा अपीलान्ट्गण प्रतिवादीगण देवा व मांगिया के विरुद्ध अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही किये जाने का निर्णय व आदेश पारित कर दिनांक 03.11.1999 को इन्ही कृषि आराजीयात के सम्बन्ध में राज्य सरकार की ओर से जरिये भूमिधारी तहसीलदार चित्तौड़गढ की ओर से न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ मे प्रस्तुत प्रकरण सं. 76/1975 अनवान सरकार बनाम देवा वगैरह दिनांक 16.08.1976 को गुणावगुण पर निर्णित किया जाकर निरस्त किया गया जिसकी प्रमाणित प्रति प्रदर्श 7 पत्रावली पर ली गई। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने दिनांक 22.05.2000 को रेस्पोडेन्ट्गण के पिता वादी का वादपत्र प्रमाणित होना मानते हुए निर्णय व डिक्री पारित किये है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 22.05.2000 के पश्चात् प्रतिवादीगण देवा व मांगिया का स्वर्गवास हो गया व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय व डिक्री की इजराय होकर उक्त कृषि आराजीयात जरिये नामान्तकरण सं. 497 दिनांक 04.02.2010 से रेस्पोडेन्ट्गण के पिता वादी के नाम दर्ज हो चुकी है जो वर्तमान मे रेस्पोडेन्ट्गण वादी के उत्तराधिकारियों के नाम दर्ज चली आ रही है जिससे अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय व डिक्री के विरुद्ध अपीलान्ट्गण जो प्रतिवादी सं. 1 व 2 के वारिस होना बताते है को जानकारी होते हुए 19 वर्ष 6 माह के पश्चात् इस न्यायालय मे प्रथम अपील प्रस्तुत की है, जिससे रेस्पोडेन्ट्गण की ओर से प्रस्तुत न्याय व्यवस्था आरआरटी 2022 पार्ट-1 पेज 165 मे स्पष्ट किया गया है कि "विलम्ब क्षमन हेतु पर्याप्त कारण स्पष्ट करने मे याची असफल रहे है: निर्णित अपील इस एक मात्र आधार पर खारीज होने योग्य है।" इस अपील मे भी गुणावगुण पर विवेचन किये गये बगैर अपीलान्ट्गण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 कानून म्याद अधिनियम स्वीकार योग्य नही होने से बिना गुणावगुण पर विवेचन किये म्याद के बिन्दु पर अपील अपीलान्ट्गण प्रतिवादीगण स्वीकार योग्य नही है।

फलस्वरूप अपील अपीलांट्गण प्रतिवादी सं. 1 व 2 के उत्तराधिकारियों की ओर से अपील मे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून म्याद अधिनियम 1963 मय शपथ पत्र अस्वीकार किया जाकर अपील म्याद बाहर होने से निरस्त की जाती है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ के प्रकरण संख्या 220/1990 रेवेन्यू वाद मे पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 22.05.2000 यथावत रखे जाते है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 20.01.2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय व डिक्री की सत्यप्रति के साथ अविलम्ब लौटायी जावे।

(हरिसिंह मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ (राज0)